पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़

सी.यू.जी. – 9454400250, दूरभाष- 05462-260403, ई-मेल- spazh-up@nic.in

संख्या- 140/2024 दिनांक- 30.04.2024

प्रेस विज्ञप्ति

थाना – तरवां

किशोरी को भगाने वाला अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व की घटना– दिनांक 15.04.2024 को वादिनी मुकदमा द्वारा थाना स्थानीय पर शिकायत किया गया था कि वादिनी की पुत्री को राकेश यादव पुत्र प्रेमचन्द्र यादव निवासी ग्राम बीबीपुर थाना तरवां जनपद आजमगढ़ उम्र 20 वर्ष अपने साथ दिनांक- 14.04.2024 की रात्रि में बहला फूसला कर भगा ले गया जिसके सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0- 112/2024 धारा- 363,366 भादवि0 बनाम राकेश यादव पुत्र प्रेमचन्द्र यादव निवासी ग्राम बीबीपुर थाना तरवां जनपद आजमगढ़ के विरुद्ध पंजीकृत कर विवेचना उ0नि0 रमेश चन्द्र यादव द्वारा की जा रही है।

➡ दौरान विवेचना अपहृता की बरामदगी कर अपहृता के बयान व मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर धारा- 376 भादवि ¾ पाक्सो एक्ट की बढोत्तरी की गयी।

गिरफ्तारी का विवरण- आज दिनांक 30.04.2024 को उ0नि0 रमेश चन्द्र यादव मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त राकेश यादव पुत्र प्रेमचन्द्र यादव निवासी ग्राम बीबीपुर थाना तरवां जनपद आजमगढ़ को रासेपुर तिराहा से समय करीब 07:45 बजे गिरफ्तार कर चालान मा0 न्यायालय किया गया।

पंजीकृत अभियोग- मु0अ0सं0- 112/2024 धारा 363,366,376 भादवि व ¾ पाक्सो एक्ट एक्ट थाना तरवां जनपद आजमगढ़।

गिरफ्तार अभियुक्त- राकेश यादव पुत्र प्रेमचन्द्र यादव निवासी ग्राम बीबीपुर थाना तरवां जनपद आजमगढ़ उम्र 20 वर्ष।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम- उ0नि0 रमेश चन्द्र यादव, का0 विपिन यादव, हर्षित यादव, अभिषेक पाल थाना तरवां जनपद आजमगढ़।

थाना अतरौलिया

हत्या करने का आरोपी अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व की घटना– दिनांक 26.04.2024 को वादिनी मुकदमा पूनम देवी पत्नी स्व0 सुरेन्द्र यादव ग्राम देवरिया पंडित पो0 देवरिया बुजुर्ग थाना राजेसुल्तानपुर जनपद अम्बेडकर नगर द्वारा थाना स्थानीय पर लिखित तहरीरी दिया गया कि वादिनी के पति सुरेन्द्र यादव रोजगार हेतु घर से जोधपुर राजस्थान के लिए निकले थे कि रास्ते मे उनके दोस्त धर्मेन्द्र यादव पुत्र झिनकू यादव, वादिनी के पति को मोटर साइकिल पर बैठाकर जहांगीरगंज, नेवरी व बावली चौक शराब के ठेके पर ले जाकर शराब पिलाया तथा शराब पिलाकर उसको कनैला पुल के नीचे फेंक कर हत्या कर दिया जिसके सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0- 143/23 धारा 302/201 भादवि0 बनाम धर्मेन्द्र यादव पुत्र झिनकू यादव सा0 हकीमपुर रामबाग थाना जहांगीरगंज जनपद अम्बेडकर नगर के विरुद्ध पंजीकृत कर विवेचना थानाध्यक्ष वीरन्द्र कुमार सिंह की जा रही है ।

गिरफ्तारी का विवरण- आज दिनांक 30.04.2024 को थानाध्यक्ष वीरेन्द्र कुमार सिंह मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त धर्मेन्द्र यादव पुत्र झिनकू यादव सा0 हकीमपुर रामबाग थाना जहांगीरगंज जनपद अम्बेडकर नगर उम्र 24 वर्ष को छितौनी मोड से समय करीब 09:45 बजे गिरफ्तार कर चालान मा0 न्यायालय किया गया।

पंजीकृत अभियोग- मु0अ0सं0- 143/24 धारा 302/201 भादवि0 थाना अतरौलिया, आजमगढ़।

गिरफ्तार अभियुक्त– धर्मेन्द्र यादव पुत्र झिनकू यादव निवासी हकीमपुर खुर्द थाना जहागीरगंज जनपद अम्बेडकर नगर।

आपराधिक इतिहास- मुकदमा उपरोक्त

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम– थानाध्यक्ष अतरौलिया वीरेन्द्र कुमार सिंह, हे0का0 मनोज कुमार, का0 शिवम सिंह, का0 बब्लू अली,म0का0 अभिलाषा द्विवेदी थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ़।

थाना निजामाबाद

दुष्कर्म का प्रयास करने का आरोपी अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व की घटना– दिनांक 28.04.2024 को वादिनी मुकदमा द्वारा थाना स्थानीय पर शिकायत किया गया था कि दिनांक 27.04.24 की शाम को अभियुक्त गौरव यादव उर्फ छोटु यादव पुत्र रामनयन यादव निवासी बघौरा इनामपुर थाना निजामाबाद जनपद आजमगढ़ वादिनी/पीड़िता के घर में अचानक घुसकर उसको जबरदस्ती पकड़ कर दुष्कर्म करने का प्रयास करने लगा। पीड़िता के शोर मचाने पर घरवाले आ गये और अभियुक्त वहाँ से भाग गया। जिसके सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 184/24 धारा 452,376,511 IPC बनाम गौरव यादव उर्फ छोटू यादव पुत्र रामनयन यादव निवासी बघौरा इनामपुर थाना निजामाबाद जनपद आजगमढ के विरुद्ध पंजीकृत कर विवेचना प्रारम्भ किया गया।

गिरफ्तारी का विवरण– आज दिनांक 30.04.2024 को उ0नि0 प्रमोद कुमार सिंह मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त गौरव यादव उर्फ छोटु यादव पुत्र रामनयन यादव निवासी बघौरा इनामपुर थाना निजामाबाद जनपद आजमगढ़ उम्र 27 वर्ष को बडागाँव नहर पुलिया से समय करीब 11.30 बजे गिरफ्तार कर चालान मा0 न्यायालय किया गया।

पंजीकृत अभियोग- मु0अ0सं0 184.24 धारा 452,376,511 IPC थाना निजामाबाद जनपद आजमगढ़।

गिरफ्तार अभियुक्त-गौरव यादव उर्फ छोटु यादव पुत्र रामनयन यादव निवासी बघौरा इनामपुर थाना निजामाबाद जनपद आजमगढ़

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम- उ0नि0 प्रमोद कुमार सिंह, हे0का0 लच्छिराम थाना निजामाबाद जनपद आजमगढ़।

थाना- पवई

हत्या की घटना का अनावरण; पति की हत्या करने की आरोपी अभियुक्ता गिरफ्तार, घटना में प्रयुक्त डण्डा बरामद

पूर्व की घटना– दिनांक 23.04.2024 को ग्राम करौंजा में अज्ञात शव प्राप्त हुआ जिसके सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर तस्करा दर्ज कर पंचायतनामा की कार्यवाही करते हुए शव को शिनाख्त एवं पोस्टमार्टम हेतु मर्चरी हाऊस आजमगढ़ में रखवाया गया।

➡ दिनांक 25.04.2024 को सच्चिदानन्द यादव पुत्र स्व0 धनपति यादव नि0 ग्रा0 रानीपुर थाना मुबारकपुर आजमगढ ने उक्त शव की शिनाख्त खुद के पुत्र पवन यादव उर्फ मोनू के रुप में किया ।

➡ दिनांक 26.04.2024 को वादी मुकदमा सच्चिदानन्द यादव पुत्र स्व0 धनपति यादव निवासी ग्रा0 रानीपुर थाना मुबारकपुर आजमगढ द्वारा थाना स्थानीय पर तहरीर दिया कि वादी के पुत्र मृतक पवन यादव उर्फ मोनू ने करीब 7- 8 वर्ष पूर्व पूजा यादव पुत्री जयप्रकाश यादव उर्फ राधे निवासी ग्राम करौंजा थाना पवई जनपद आजमगढ़ के साथ प्रेम विवाह किया था और दोनों किराये के मकान में साथ रहते थे। विगत कुछ दिन पहले दोनो के मध्य वाद-विवाद हुआ था और मृतक की पत्नी ने कहा कि मै तुमको ठिकाने लगवा दूंगी। उक्त तहरीर के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 130/24 धारा 302/201 भादवि0 बनाम 1.अंगद यादव पुत्र जयप्रकाश यादव 2.जयप्रकाश उर्फ राधे पुत्र स्व0 सुमेर यादव 3. पूजा यादव पुत्री जयप्रकाश समस्त निवासी ग्राम करौजा थाना पवई आजमगढ़ पंजीकृत कर विवेचना प्रारम्भ किया गया।

गिरफ्तारी का विवरण- आज दिनांक 30.04.2024 को थानाध्यक्ष पवई अनिल कुमार सिंह मय हमराह व उ0नि0 चन्द्रशेखर सिंह, मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्ता पूजा यादव पुत्री जयप्रकाश यादव निवासी ग्राम करौजा थाना पवई जनपद आजमगढ़ को करौजा पुलिया से समय करीब 05.30 बजे गिरफ्तार किया गया। अभियुक्ता की निशानदेही पर उसके घर से घटना में प्रयुक्त 01 डण्डा व घटना के समय अभियुक्ता द्वारा पहने हुये गाउन को बरामद कर गिरफ्तार अभियुक्ता का चालान मा0 न्यायालय किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त- पूजा यादव पुत्री जयप्रकाश यादव निवासी ग्राम करौजा थाना पवई जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 24 वर्ष।

पंजीकृत अभियोग- मु0अ0सं0 130/24 धारा 302/201 भादवि थाना पवई आजमगढ़।

बरामदगी- 01 डण्डा व घटना के समय अभियुक्ता द्वारा पहना गया गाउन

पूछताछ का विवरण- गिरफ्तार अभियुक्ता ने बताया कि उसने मृतक के साथ वर्ष 2019 मे प्रेम विवाह किया था। दोनो का 01 वर्ष का एक लड़का है। इसी बीच मृतक किसी अन्य लड़की से बात करने लगा। इसी विवाद के चलते अभियुक्ता जनवरी मे मायके चली गयी और वही रहने लगी। लगातार मायके रहने के कारण मृतक पवन को अभियुक्ता पर संदेह हुआ कि वह किसी अन्य लड़के से बात करती है।

➡ दिनांक 21.4.2024 की रात्रि में अभियुक्ता का पति मृतक पवन कुमार यादव ऊर्फ मोनू अभियुक्ता के घर करौजा गया था और उसने अभियुक्ता को फोन से बात करते देखा और फोन छीन कर गाली गलौज करने लगा। अभियुक्ता के भाई ने बीच बचाव कर अभियुक्ता को छुड़ाया तथा मृतक अभियुक्ता को छोड़कर उसके भाई को घसीट कर खडन्जे की तरफ ले जाने लगा तब तक पीछे से अभियुक्ता डण्डा लेकर मृतक के सिर पर डण्डे से प्रहार किया जिससे वह लड़खड़ा कर गिर गया तथा अभियुक्ता ने मृतक को दबाये रखा और उसके भाई अंगद ने डण्डे से कई डण्डे उसके सिर व शरीर पर मारा जिससे उसकी मृत्यु हो गयी। मृतक के शव को 01 कुए में फेंक दिया और ऊपर से गेहूँ का डण्ठल फेंक दिया।

आपराधिक इतिहास- मुकदमा उपरोक्त

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम- थानाध्यक्ष अनिल कुमार सिंह, उ0नि0 चन्द्रशेखर सिंह, हे0का0 धर्मेन्द्र कुमार सिंह, का0 अशफाक अंसारी, म0का0 पूजा पाण्डेय थाना पवई जनपद आजमगढ़।